शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-**62/2017/1799/33-3-2017-46/2015**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

2-जिला पंचायत राज अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ, दिनांक: **14** अगस्त, **2017**

विषय: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग/रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग/रख-रखाव किया जाना विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यक है। राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, लखनऊ के पत्रांक: नि0का0/एस0एस0ए0/कोर्टकेस/**2448/2017-18** दिनांक **10** अगस्त, **2017** द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त **75** जनपदों में रिबोर योग्य हैण्डपम्पों वाले विद्यालयों की संख्या-**15751** है एवं मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों वाले विद्यालयों की संख्या-**8619** है, जिसका विद्यालयवार विवरण निदेशक, पंचायतीराज,उ0प्र0 द्वारा जनपदों को पृथक से उपलब्ध कराया गया हैं। इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित रिबोर योग्य हैण्डपम्पों का रिबोर तथा मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों के मरम्मत के कार्य प्राथमिकता पर निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कियें जाने आवश्यक है। विद्यालयों में स्थापित हैण्डपम्पों का रिबोर का कार्य ग्राम पंचायतों में शासनादेश संख्या-**51/2017/1211/33-3-2017-46/2015,** दिनांक-**19** जून, **2017** द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

हैण्डपम्पों के रिबोर तथा मरम्मत का समस्त कार्य विद्यालयों में आगामी **03** माह में शत प्रतिशत पूर्ण कराया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक सप्ताह-राज्य को जनपदों द्वारा समस्त कार्य पूर्ण होने तक साप्ताहिक प्रगति से पंचायतीराज विभाग के स्तर से संचालित आंनलाइन एम0पी0आर0 पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

जैसा कि आप अवगत है ग्राम पंचायतों में **14**वें वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से होने वाले समस्त कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपरोक्त वर्णित रिबोर/मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में सम्मिलित है, अन्यथा की स्थिति में अनुपूरक कार्य योजना बनाकर कार्यो का अनिवार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।

5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

6- राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, लखनऊ।

7- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

10- समस्त उप निदेशक पंचायत उ0प्र0।

11- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in